(16)

संख्या– 1407 / 38–3–2005–500(85) / 2004

अ० मा० (आपे०)

626
15.6.05

14.6.05
(शैलेश कुमार)
आयुक्त ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश

ओंकार नाथ.
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2005

विषय:– विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–91वि0नि0 / 38–3–2002–500(1) / 98 टी0सी0, दिनांक 10–4–2002 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेटों / द्वारों का निर्माण कराये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जाती है।

2– उक्त सीमा तक विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त संशोधित समझे जायेगें।

3– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(ओंकार नाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 1407(1) / 38–3–2005–500(85) / 2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
5– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– अपर आयुक्त(लेखा) ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

—2 / —

ACC (VM)
14.6.05

अ० ग० (श्री दीक्षित)
को पत्र लिखे।
15/6/05